संख्या-17/2015/311/41-15-27 यो0/2015

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 05 फरवरी, 2015

विषय- राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियॉ में स्थित चक्का बांध लमूई ग्राम में प्रचीन नागा बाबा मन्दिर, लक्ष्मी मन्दिर, हनुमान मन्दिर एवं भगवान शंकर मन्दिर स्थल के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-1882/2014, दिनांक 04-02-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर जनपद गाजीपुर के तहसील जमानियॉ में स्थित चक्का बांध लमूई ग्राम में प्रचीन नागा बाबा मन्दिर, लक्ष्मी मन्दिर, हनुमान मन्दिर एवं भगवान शंकर मन्दिर स्थल के पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग उ0प्र0 वाराणसी द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 39.82 लाख की प्रशासकीय एवं 75 प्रतिशत की धनराशि रू0 29.86 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
4. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

http://srasanadesh.up.nic.in

5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।
6. योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत के लेखाशीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-17/2015/311(1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
4- जिलाधिकारी, गाजीपुर।
5- अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
8- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)

http://shasanadesh.up.nic.in

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in